

## परिशिष्ट-15

लिफाफों का विवरण जो मतदान दलों को तैयार करने हैं

(अ) प्रत्येक मतदान अधिकारी द्वारा प्रत्येक चुनाव के पृथक्-पृथक् तैयार किये जाने वाले लिफाफे :-  
(बूथवार)

क्र.स.	केवल पंच चुनाव से संबंधित	केवल सरपंच चुनाव से संबंधित	केवल पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित	केवल जिला परिषद् सदस्य चुनाव से संबंधित
	<u>जो सील करने है :-</u>	<u>जो सील करने है</u>	<u>जो सील करने है</u>	<u>जो सील करने है</u>
1.	अप्रयुक्त मतपत्र (पंच) P-4	1. अप्रयुक्त मतपत्र (सरपंच) P-3	1. अप्रयुक्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) P-24	1. अप्रयुक्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) P-25
2.	चिह्नित मतदाता सूची (पंच) P-5	2. चिह्नित मतदाता सूची (पंच) P-6	2. चिह्नित मतदाता सूची (पं.स. सदस्य) P-26	2. चिह्नित मतदाता सूची (जि.प. सदस्य) P-27
3.	खराब व रद्द मतपत्र (पंच) नियम 42 P-13	3. खराब व रद्द मतपत्र (सरपंच) नियम 42 P-12	3. खराब व रद्द मतपत्र (पं.स. सदस्य) नियम 42 P-14	3. खराब व रद्द मतपत्र (जि.प. सदस्य) नियम 42 P-15
4.	निविदत्त मतपत्र व सूची (पंच) P-16	4. निविदत्त मतपत्र व सूची (सरपंच) P-17	4. निविदत्त मतपत्र व सूची (पं.स. सदस्य) P-18	4. निविदत्त मतपत्र व सूची (जि.प. सदस्य) P-19
			<u>जो सील नहीं करने है :-</u>	<u>जो सील नहीं करने है :-</u>
			6. मतपत्र लेखा (पं.स.सदस्य) P-30	6. मतपत्र लेखा (जि.प.सदस्य) P-31

(ब) मतदान अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले अन्य लिफाफे:-  
(बूथवार-लिफाफे)

पंच व सरपंच चुनाव

पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् सदस्य चुनाव  
दोनों के लिये एक-एक

(सील नहीं करने हैं)

1. महिला / पुरुष वार सांख्यिकी आंकड़ों का  
फार्म (पंचायत समिति / जिला परिषद् सदस्य)  
P-2
2. पिंक पेपर सील का लेखा एवं मतदान अधिकारी  
की घोषणा (पंचायत समिति / जिला परिषद् सदस्य)  
P-32
3. मतदान अधिकारी की डायरी  
(पंचायत समिति / जिला परिषद् सदस्य)  
[पं.स./जि.प. सदस्य चुनावों में प्रत्येक के मतपत्र<sup>1</sup>  
लेखा प्रपत्र की अतिरिक्त 1-1 प्रतियां सहित]  
P-38
4. विविध कागजात —  
(पंचायत समिति / जिला परिषद् सदस्य)  
मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व उनकी सूची; अप्रयुक्त पेपर सीलेय  
मतदान अभिकर्ता — नियुक्ति के फार्म, कार्यकारी मतदाता सूचियों की अन्य  
प्रतियां आदि  
P-39

नोट:- पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् के निर्वाचन से संबंधित उपरोक्त मद सं. (अ) तथा (ब) में बताये गये सभी बूथवार 16  
लिफाफे (यानि P-24, 26, 14, 18, 22, 25, 27, 15, 19, 23, 30, 31, 2, 32, 38 एवं 39) तैयार किये जाकर जिला परिषद्/पंचायत  
समिति सदस्य निर्वाचन वाली मतपेटी के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को मतदान समाप्ति के बाद  
संभला दिया जायें। पंच/सरपंच से संबंधित लिफाफे पंचायत मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी को संभला दिये जायें।

(स) रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच) द्वारा तैयार किये जाने वाले लिफाफे:-

(जो सील नहीं करना है) P-1

प्रति पंचायत-1

1. निम्न कागजात का बड़ा लिफाफा
  - (i) नामनिर्देशन—पत्र एवं संबंधित कागजात (पंच) सभी वार्डों के
  - (ii) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (पंच) सभी वार्डों की
  - (iii) नामनिर्देशन—पत्र एवं संबंधित कागजात (सरपंच)

- (iv) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची  
(v) मतदाताओं की आयुसंबंधी घोषणायें व उनकी सूची  
(vi) मतदान अभिकर्ता व गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के उपयोग में लाये गये फार्म  
(vii) कार्यकारी मतदाता सूचियों की अन्य प्रतियां अन्य कागजात
2. चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपों का बड़ा लिफाफा :-  
3. वैध मत-पत्र (सरपंच)  
4. वैध मत-पत्र (पंच)  
5. मतगणना में खारिज मतपत्र (सरपंच)  
6. मतगणना में खारिज मतपत्र (पंच)  
7. पंच / सरपंच के सांख्यिकीय आंकड़े  
a. सांख्यिकीय फार्म-पंच  
b. सांख्यिकीय फार्म-सरपंच  
c. बूथवार — मतदान के आंकडे (महिला-पुरुष वार)  
8. लिफाफा (परिणाम पत्र)  
जि.नि.अधिकारी को जमा कराने हेतु  
9. प्रतिभूति निक्षेप संबंधी रसीद बुक व जप्त राशि  
10. लिफाफा जिसमें निम्न कागज होंगे—  
(1) पंच / सरपंच चुनाव संबंधित पिंक पेपर सील का लेखा  
(2) अप्रयुक्त व क्षतियुक्त पेपर सीलें  
(3) शेष फार्म  
11. डाक के लिफाफे—  
परिणाम पत्र भेजने हेतु  
उपसरपंच चुनाव के लिफाफे  
(यदि उपसरपंच चुनाव कराने के निर्देश दिये जाते हैं तो उपयोग करने हैं)  
12. वैध-अवैध मतपत्र  
13. उप सरपंच चुनाव का अन्य रिकार्ड
- (सील नहीं करना है) P-7  
(सील करना है) P-8  
(सील करना है) P-9  
(सील करना है) P-28  
(सील करना है) P-29  
(सील नहीं होगा) P-10  
[नोट— पंच व सरपंच के आंकड़ों के तीनों फार्म पृथक काउंटर पर जमा करायें या जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्देशों के अनुसार जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से शीघ्र पहुंच देवें।]  
(सील नहीं होगा) P-11  
(सील नहीं होगा) P-42  
(सील नहीं होगा) P-33  
प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
प्रति रिटर्निंग अधिकारी-5  
प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1